

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र० 2400195-ए/2016

F.No. 102158/2016

संस्थापित दिनांक-08.11.2016

1. महेन्द्र सिंह पुत्र हरिश्चंद्र उम्र 38 वर्ष
2. कलावती पत्नी हरिश्चंद्र उम्र 58 वर्ष
3. उषा पुत्री हरिश्चंद्र पत्नी शिवसिंह उम्र 40 वर्ष
निवासीगण ग्राम जवासा मुरलीपुरा तहसील
जिला भिण्ड

.... आवेदकगण/वादीगण

वि रू द्ध

1. माधो सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह उम्र 40 वर्ष
निवासी ग्राम जवासा मुरलीपुरा तहसील
जिला भिण्ड
2. हरिश्चंद्र पुत्र बलधारी उम्र 64 वर्ष निवासी
19/503 हर्ष बिहार बिल्डिंग 18/19 शांति
नगर सेक्टर/1 मीरा रोड जिला ठाणे
(महाराष्ट्र) भारत
3. सुखवासी फौत वारिस:-
अ राजवीर पुत्र सुखवासी
4. हरविलास फौत
अ रघुवीर उम्र 49 वर्ष
ब बारेलाल उम्र 46 वर्ष
स सरनाम उम्र 43 वर्ष
द सरदार सिंह फौत वारिस
1. गंभीर सिंह उम्र 35 वर्ष
2. विजय सिंह उम्र 32 वर्ष,
3 राजकुमार उम्र 28 वर्ष
5. तेज सिंह पुत्र बलधारी उम्र 50 वर्ष
6. लक्ष्मन पुत्र बलधारी फौत वारिस:-
अ विशंभर पुत्र लक्ष्मण उम्र 44 वर्ष
ब. माधो सिंह पुत्र लक्ष्मण प्रतिवादी क्रमांक 1
उक्त सभी निवासीगण ग्राम जवासा मुरलीपुरा
तहसील जिला भिण्ड
7. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड

अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //

(आज दिनांक **11.9.2017** को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी (आई.ए.नम्बर-1) का निराकरण करेगा।
2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बाके मौजा मुरली का पुरा जवावा तहसील भिण्ड में नवीन सर्वे क्रमांक 1458 मिन 2 क्षेत्रफल 0.07 खसरा एवं खतौनी वर्ष 2016-17 में प्रतिवादी क्रमांक 2 के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर इंद्राज है तथा खसरा एवं खतौनी सर्वे क्रमांक 1422 मिन 2 क्षेत्रफल 0.16 एवं सर्वे क्रमांक 2170 मिन 3 क्षेत्रफल 0.08 माधौसिंह प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम अंकित है। प्रतिवादी क्रमांक 2 हरिश्चंद ने विक्रय पत्र दिनांक 25.7.2016 के अनुसार सर्वे क्रमांक 2170 मिन 3 क्षेत्रफल 0.08 प्रतिवादी क्रमांक 1 माधौसिंह के हक में विक्रय पत्र 1,80,000 रुपये निष्पादित कर दिया तथा सर्वे क्रमांक 1422 मिन 2 क्षेत्रफल 0.16 हेक्टेयर को भी प्रतिवादी क्रमांक 2 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अंतरित कर दिया है। सर्वे क्रमांक 1422 मिन 2 क्षेत्रफल 0.16 एवं सर्वे क्रमांक 2170 मिन 3 क्षेत्रफल 0.08 पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नामांतरण हो चुका है। प्रतिवादी क्रमांक 3 ने विक्रय पत्र अवैध रूप से संपादित किया गया है। सर्वे क्रमांक 1498 मिन 2 रकवा 0.07 अभी भी प्रतिवादी क्रमांक 2 के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर इंद्राज है। खसरा ग्राम जवासा संवत् 2008 वर्ष 1951 में सर्वे क्रमांक 2474 डाडा क्षेत्रफल एक बीघा 6 विश्वा तथा सर्वे क्रमांक 944 क्षेत्रफल 1 बीघा 18 विश्वा एवं सर्वे क्रमांक 1936 क्षेत्रफल 1 बीघा 9 विश्वा तथा सर्वे क्रमांक 1938 क्षेत्रफल 1 बीघा 3 विश्वा बलधारिया वल्द गोकुमा के नाम पक्का कृषक के रूप में इंद्राज है।
3. समस्त भूमि पैतृक होकर उस पर वादी क्रमांक 1 व 3 का जन्म से अधिकार है। सभी भूमि विक्रय पत्र सहित जो प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में

प्रतिवादी क्रमांक 2 ने की है तथा सर्वे क्रमांक 1458 मिन 2 क्षेत्रफल 0.07 इस प्रकरण में विवादित भूमि है। बंदौवस्त के पश्चात् सर्वे क्रमांक 948 को 1421 क्षेत्रफल 0.10 हेक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 948 का टुकड़ा को सर्वे क्रमांक 1422 क्षेत्रफल 0.36 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 944 को सर्वे क्रमांक 1441 क्षेत्रफल 0.26 तथा सर्वे क्रमांक 2474 को सर्वे क्रमांक 1458 क्षेत्रफल 0.27 हेक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 1936, 1938/1 एवं 1938/3 को सर्वे क्रमांक 2170 क्षेत्रफल 0.38 तथा सर्वे क्रमांक 2171 क्षेत्रफल 0.23 कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 1.51 के भूमि स्वामी सुखवासी, हरविलास, तेजसिंह, लक्ष्मन सिंह एवं हरिश्चंद का इंद्राज है और उक्त भूमि सामिल खाते की भूमि है। प्रतिवादी क्रमांक 2 तथा अन्य भाईयों का बटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 2 रेल्वे विभाग में टी टी आई के पद पर नौकरी करता था तथा उसके हिस्से की भूमि जो उसे घरोबा में प्राप्त हुई थी, उससे वादी क्रमांक 2 स्वयं का एवं वादी क्रमांक 1 व 3 का भरण पोषण करती चली आ रही है। वादी क्रमांक 1 व 2 विकलांग है तथा धंधा करने में असमर्थ है। प्रतिवादी क्रमांक 2 सेवानिवृत्त होकर आलीशान मकान लेकर मनमौजी से निवास कर विलासता का जीवन व्यतीत कर रहा है तथा अपने मनोरंजन के लिये मुम्बई में कई शादियाँ कर चुका है और हर नई पत्नी को एक नया मकान देता रहता है। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने बिना बटवारे के पैतृक संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में विक्रय कर दी है, जिस कारण वादीगण को यह वाद लाना पड़ा है। प्रतिवादी क्रमांक 3 लगायत 6 प्रतिवादी क्रमांक 1 के सगे भाई है, जिनका अभी कोई बटवारा नहीं हुआ है और घरू बटवारे के अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा किये गये विक्रय पत्रों को वादीगण इस आधार पर चुनौती देते हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 2 को अपने हिस्से से अधिक जमीन विक्रय करने का अधिकार नहीं था एवं वादीगण का उक्त भूमि पर जन्म से अधिकार है तथा मौके पर वादी क्रमांक 2 का कब्जा है। प्रतिवादी क्रमांक 3 लगायत 6 को तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लट्ठ के बल पर वादी क्रमांक 1 व 2 से बिना बटवारा कराये जबरजस्ती कब्जा लेना चाहता है, जबकि उसे कोई अधिकार नहीं है।

वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 को बाबा बलधारी से प्राप्त कृषि भूमि है, जिस कारण वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर पैतृक भूमि होने के कारण जन्म से अधिकार है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादीगण के पक्ष में है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मामले के निराकरण तक प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी क्रमांक 3 के कब्जे में हस्तक्षेप न करे और भूमि विक्रय न करे तथा यथास्थिति बनायी रखी जावे। आवेदन के समर्थन में महेन्द्र ने स्वयं का तथा बहादुर सिंह, वीरेन्द्र सिंह एवं बारलाल का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 व 5 ने संयुक्त रूप से लिखित कथन एवं उक्त आवेदन का जबाब प्रस्तुत करते हुये वाद पत्र के अभिवचन एवं आवेदन पत्र के तथ्यों को सारतः अस्वीकार करते हुये व्यक्त किया है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि में जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 2 व 5 एवं अन्य भाईयों के मध्य कई वर्षों पूर्व बटवारा हो चुका है तथा सभी की पृथक्-पृथक् ऋण पुस्तिकायें है और वादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं है तथा स्वअर्जित संपत्ति है। प्रतिवादी क्रमांक 2 के जीवित रहते हुये वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादी क्रमांक 1 ने कई लोगों से कर्जा ले लिया था, जिस कारण विक्रय पत्र संपादित कराना आवश्यक हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान अपूर्ण है। प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्रतिवादी क्रमांक 2 ने विधिवत प्रतिफल लेकर विक्रय पत्र संपादित कर वास्तविक भौतिक आधिपत्य प्रदान किया है और प्रतिवादी क्रमांक 1 कृषि कार्य कर रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति वादीगण के पक्ष में न होने से आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। आवेदन के जवाब के समर्थन में माधौसिंह ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

5. शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसर हुई है।

6. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है?

ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है?

स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदकगण/वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

7. वादीगण का अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है और पैतृक भूमि होने के कारण विवादित भूमि का उनका जन्म से अधिकार है। प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि शपथपत्रीय कथन यह है कि विवादित भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं उनके भाईयों के मध्य विधिवत बटवारा हो चुका था और सभी के पृथक्-पृथक् खाते निर्मित हैं, जिस कारण विवादित भूमि पैतृक संपत्ति नहीं है और प्रतिवादी क्रमांक 2 हरिश्चंद की स्वअर्जित संपत्ति है। उभयपक्ष के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन परस्पर विरोधाभासी हैं और उनके आधार पर इस प्रकरण पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है और पैतृक भूमि होने से वादीगण का विवादित भूमि पर जन्म से अधिकार है।

8. वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विक्रय पत्र दिनांक 25.7.2016 की प्रमाणित प्रति, भू अधिकार ऋणपुस्तिका की प्रति, महेन्द्र सिंह का विकलांग प्रमाणपत्र एवं आधार व निर्वाचन कार्ड, पंचनामा, अधिकार अभिलेख वर्ष 2016-17 की खसरा खतौनी, खसरा संवत् 2008 (वर्ष 1951) एवं निर्वाचन नामावली 2008 प्रस्तुत की है। खसरा खतौनी वर्ष 2016-17 के अनुसार सर्वे क्रमांक 1458/मिन 2 हरीश्चंद के नाम तथा सर्वे क्रमांक 1422 मिन 2 एवं सर्वे क्रमांक 2170 मिन 3 माधौसिंह के नाम इंद्राज है। अधिकार अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि सुखवासी, हरविलास, तेजसिंह, लक्ष्मन एवं हरिश्चंद के नाम इंद्राज होना दर्शित है। खसरा संवत् 2008 (वर्ष 1951) के अनुसार सर्वे क्रमांक 948 सुखवासी तथा अन्य सर्वे क्रमांक बलधरिया के नाम पक्का कृषक के रूप में इंद्राज है।

9. वादीगण के द्वारा यह वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा विक्रय पत्र दिनांक 25.7.2016 को प्रभावहीन घोषित कराने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है और उनका उक्त भूमि पर जन्म से अधिकार है। वादीगण का मूलतः वाद इस आधार पर है कि विवादित भूमि सहदायिकी भूमि है और वादीगण का सहदायिक होने के कारण विवादित भूमि पर जन्म से अधिकार है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से ऐसा दर्शित नहीं होता है कि विवादित भूमि सहदायिक भूमि है और न ही वादीगण का इस संबंध में कोई अभिवचन है कि किन-किन के मध्य सहदायिकी निर्मित हुई। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान के राजस्व अभिलेख के अवलोकन से विवादित भूमि स्पष्टतः प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के नाम इंद्राज होना प्रकट है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त भूमि सहदायिक भूमि है और वादीगण का विवादित भूमि पर सहदायिक होने के कारण स्वत्व है।

10. वादीगण ने अभिवचन एवं वादी महेन्द्र सिंह तथा शपथ कर्ता बहादुर सिंह, वीरेन्द्र सिंह व वारे लाल के शपथपत्रीय कथन में यह बताया है कि वादी क्रमांक 2 कलावती विवादित भूमि पर कृषि कार्य कराती है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से ऐसा प्रकट नहीं होता है कि विवादित भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का अधिकार दर्शित न होने से प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

11. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया गया है और वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के नाम इंद्राज है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं मानी जा सकती। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना को भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

12. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादीगण के पक्ष में होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है ।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 11.9.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)